श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2025

क्रमांकः 734 /1/0016/2025/ए-16, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 1238/443/2022/ए-16, दिनांक 1 अगस्त, 2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है, कि उक्त अधिनियम की, धारा 25 के उपबंध, जो कि रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे के बीच महिलाओं के कामकाज से संबंधित हैं, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तो के क्रियान्वयन के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश राज्य में ऐसी दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को लागू नहीं होगें, अर्थात्:-

निबंधन और शर्त

(1) रात्री पाली में कार्य करने हेतु महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अज्ञापक होगा तथा नियोजक यह सुनिश्चित करेगा, कि महिला श्रमिक पांच महिलाओं से अनिम्न के समूह में नियोजित की जाएं।

(2) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) एवं अन्य संबंधित प्रचलित विधियों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(3) महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सुनिश्चित कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा तथा जहां 10 या अधिक महिलाएं नियोजित हों वहां प्रवेश और निकास पर महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) की व्यवस्था की जाएगी।

(4) ऐसे कार्यस्थल पर, जहां ऐसी महिला कर्मचारी नियोजित हों, शौचालय, वाशरूम और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इन सुविधाओं तक जाने का मार्ग, जहां महिला कर्मचारियों को अपने काम के संबंध में या अन्यथा परिसर जाना पड़ता है, अच्छी तरह से प्रकाशित तथा क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीटीटीवी) निगरानी के अधीन होगा तथा जहां 10 या अधिक महिलाएं नियोजित हों, वहां पृथक से विश्राम कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) नियोजक, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा।

No. 734 /1/0016/2025/A-16, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Shop and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958) and in supersession of this department's previous Notification No. 1283/443/2022/A-16, dated 1st August, 2022, the State Government, hereby, directs that the provisions of section 25 of the said Act related to working hours of women between 9.00 PM to 7.00 AM shall not apply to such shops and commercial establishments in the State of Madhya Pradesh subject to the implementation of terms and conditions specified below, namely:-

TERMS AND CONDITIONS

(1) It shall be mandatory to take written consent of women workers for working in night shift and employer shall ensure that women workers are employed in a batch of not less than five women.

(2) The provieions of Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) and other related prevailing laws shall be complied with.

(3) Women employees shall be provided a safe and secuer workplace and women guards shall be provided at entry and exit wherein 10 or more women are employed.

(4) The toilet, washroom and drinking facilities shall be availables at the workplace where such women employees are employed. The passage to these facilities where women workers are required to go in connection with their work or otherwise in the premises shall be well-Lit and under Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance and separate rest room shall be provided wherein 10 or more women are employed.

(5) The employer shall comply with all the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013).

PA-10

कमांक 736 / 1 / 0015 / 2025 / ए-16, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4ई-2 / 2015 / ए-सोलह, दिनांक 24 जून, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी महिलाएं जिनसे रात्रि 8 बजे और प्रातः 6 बजे के बीच किसी कारखानें या विनिर्माण प्रक्रिया में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है या उन्हें अनुमति दी जाती है, के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शर्तें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

निबंधन तथा शर्ते

(1) रात की पाली में कार्य करने के लिए महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अज्ञापक होगा और नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा, कि महिला श्रमिक पांच से अनिम्न महिलाओं के बैंच में नियोजित की जाएं।

(2) कोई महिला किन्हीं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन अधिकथित मातृत्व लाभ उपबंधों के विरूद्ध नियोजित नहीं की जाएगी।

(3) महिलाओं कर्मचारियों को उनके निवास से लाने और ले जाने के लिए यथोचित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) नियोक्ता सुरक्षित और सुनिश्चित कार्य स्थितियां उपलब्ध कराएगा ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई क्षति न हो।

(5) कार्यस्थल पर, जहाँ ऐसी महिला कर्मचारी नियोजित हों, वहाँ शौचालय, वाशरूम, पेयजल, भोजन और विश्राम कक्ष की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी और इन सुविधाओं तक जाने का मार्ग, जहाँ महिला श्रमिकों को कार्य के संबंध में या अन्यथा परिसर या उसके आसपास जाने की आवश्यकता पड़ती है, अच्छी तरह से प्रकाशित और क्लोज सर्किट टेजीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के अधीन होगा।

(6) कार्यस्थल के प्रवेश और निकास पर महिला सुरक्षाकर्मी (गार्ड्स) उपलब्ध होंगी।

(7) जहाँ कारखाना, महिला श्रमिकों के लिए भोजन तथा ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराता है, वहां वह, महिला वार्डन अथवा सुपरवाईजर के नियंत्रण के अधीन अनन्य रूप से महिलाओं के लिए ही रखा जाएगा।

(8) रात्रि पाली के दौरान सुपरवाइजर, शिफ्ट–इन–चार्ज, फोरमैन या अन्य सुपरवाइजरी कर्मचारिवृंद की संख्या का एक तिहाई से अनिम्न महिला होंगी।

(9) जहां किसी महिला श्रमिक को दिन की पाली से रात्रि की पाली में या रात्रि पाली से दिन की पाली में परिवर्तित किया जाता है, वहां अंतिम पाली और रात की पाली के बीच लगातार बारह से अनिम्न घंटों का विश्राम या अंतराल होगा।

(10) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14), जैसा कि स्थापनों पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

No. 736 /1/0015/2025/A-16, In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 66 ot the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of this department's Notification No. F-4E-2/2015/A-XVI, dated 24th June, 2016, the State Government, hereby, specifies the conditions for ensuring safety women who are required or allowed to work in any factory or manufacturing processes between the hours of 8 P.M. and 6 A.M., namely:-

TERMS AND CONDITIONS

(1) It shall be mandatory to take written consent of women workers for working in night shift and employer shall ensure that women workers are employed in a batch of not less than five women.

(2) No women shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under any other prevailing lawas.

(3) Women employees shall be provided with adequate transportation facilities of pick-up and drop at their residence.

(4) Employer shall provide safe and secure working conditions such that no women employee is disadvantaged in connection with her employment.

(5) The toilet, washroom, drinking, dining and rest room facilities shall be available at the workplace where such women employees are employed and the passage to these facilities `where women workers are required to go in connection with their work or otherwise in the premises and surroundings shall be well-Lit and under Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance.

(6) Women security guards shall be available at entry and exit point of workplace.

(7) Wherever the factory provides boarding and lodging arrangements for the female workers, the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors.

(8) During nigth shift not less than 1/3rd of strength of the supervisors, shift-in-charge, forman or other supervisory staff shall be women.

(9) There shall be not less than twelve consecutive houre of rest or gap between the last shift and the night shift whenever a women worker is changed from day shift to night shift and also form night shift to day shift.

(10) The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), and applicable to the establishments shall be complied with.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अपर सचिव.